



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253370
CG-DL-E-26032024-253370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946

No. 216]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

सा.का.नि. 230(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. 41(अ) दिनांक 15 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित गया था, में,-

- पृष्ठ संख्या 2 पर, सारणी में, क्रम संख्या 1 में, कॉलम (9) में, 'मीट्रिक टन' के स्थान पर, 'किलोग्राम' पढ़ा जाए;
- पृष्ठ संख्या 2 पर, सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (9) में, 'मीट्रिक टन' के स्थान पर, 'किलोग्राम' पढ़ा जाए;
- पृष्ठ संख्या 2 पर, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (9) में, 'मीट्रिक टन' के स्थान पर, 'किलोग्राम' पढ़ा जाए।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/255/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDA**

New Delhi, the 26th March, 2024

G.S.R. 230(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2024-Customs(ADD), dated the 15th January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 41(E), dated the 15th January, 2024,-

- (i) at the page number 4, in the TABLE, in serial number 1, in column (9), *for* 'MT', *read* 'KG';
- (ii) at the page number 4, in the TABLE, in serial number 2, in column (9), *for* 'MT', *read* 'KG';
- (iii) at the page number 4, in the TABLE, in serial number 3, in column (9), *for* 'MT', *read* 'KG'.

[F. No. CBIC-190354/255/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.